| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु०नं० 21/2023<br>धनपती/मोहकम/राज सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/10/24 | पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 12/11/24 को पेश हो। | |
| 12/11/24 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हो। | |
| 20/11/2024 | पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थी उपस्थित। अभि. प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 02/12/2024 को पेश हो। Rahul | |
| 02/12/24 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 16/12/24 को पेश हो। | |
| 16/12/24 | पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/12/24 को पेश हो। Rahul | |
| 24/12/24 | पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत लिखित पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काट कर दाखिल दफ्तर हो। Rahul<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 21/2023

1. घमण्डी
2. मोहकम पुत्रान प्रताप सिंह जाति जाट निवासी गहलउ तहसील उच्चैन।

....................प्रार्थीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
2. तेजसिंह
3. वासुदेव पुत्रान भगवान सिंह जाति जाट निवासी गहलउ तहसील उच्चैन।

............... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,128,136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

**निर्णय** दिनांकः—24.12.2024

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111,128,136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्वर 810/210/0.17, 811/210/0.17, 210/784/0.33, 395/787/0.28, 395/0.29 है0 वाके ग्राम गहलउ तहसील उच्चैन मे स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है तथा उक्त आराजी का पूर्व में ही वंटवारा हो चुका है एवं मुताविक वंटवारे हम प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी का पुराना खसरा नम्वर 168/4.03 था तथा उक्त आराजी का जव वंटवारा हुआ तो उक्त आराजी खसरा नम्वर से तीन खसरा नम्वर वनाये गये जो निम्न प्रकार से है खसरा नम्वर 780/168/1.01 प्रार्थी संख्या 2 मोहकम सिंह को मिला, खसरा नम्वर 781/168/1.01 प्रार्थी संख्या 1 घमण्डी को मिला इसी प्रकार खसरा नम्वर 168/1/2.01 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को मिला इस प्रकार उक्त आराजी खसरा नम्वर 168 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1/2—1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे जव उक्त आराजी का वंटवारा हुआ तो दक्षिण का जो हिस्सा था वो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को मिला तथा उत्तर का जो हिस्सा था वह प्रार्थीगण को मिला तथा उसी मनवट के आधार पर आज भी प्रार्थीगण

Rahul Shrivastava
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उत्तर की ओर तथा अप्रार्थीगण दक्षिण की ओर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। दौराने सैटलमेंन्ट उक्त आराजी के नये खसरा नम्वर वनाये गये एवं नया राजस्व नक्शा तैयार किया गया तथा उक्त नये राजस्व नक्शा में बंटवारे एवं पुराने राजस्व नक्शा के विपरीत बिना किसी कानून एवं अधिकार के जहां प्रार्थीगण की कब्जा काश्त थी वहां अप्रार्थीगण को एवं जहां अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त थी वहां प्रार्थीगण को दर्शाया गया है। यानि कि खसरा नम्बर 810/210 एवं 811/210 प्रार्थीगण के बंटवारे पर एवं मौके पर उत्तर की ओर है उन्हें दक्षिण की ओर नये नक्शे में दर्शाया गया है इसी प्रकार खसरा नम्वर 210/784 जो अप्रार्थीगण की आराजी है जो मौके पर एवं बंटवारे में दक्षिण की तरफ थी उसे उत्तर की तरफ गलत एवं बिना किसी कानून के दर्ज कर दिया एवं इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 369/787 जो कि प्रार्थीगण को बंटवारे में पश्चिम में मिली थी एवं मौके पर पश्चिम में है उसे पूर्व में दर्शाया गया है एवं अप्रार्थीगण की आराजी 395 जो कि पूर्व में थी उसे नये राजस्व नक्शा में खिलाफ मौका एवं काब्जा पश्चिम में दर्शा दिया गया जिसकी प्रार्थीगण नये राजस्व नक्शे में शुद्धि करा पाने के अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत होकर इकबाल जबाव पेश किया। पैरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गहलउ में जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के आराजी खसरा नम्बर 810/210 रकवा 0.17 हैक्टे. मोहकमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट नि. गहलउ व आराजी खसरा नम्बर 811/210 रकबा 0.17 हैक्टे. घमण्डी पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट नि. गहलउ, आराजी खसरा नम्बर 210/784 रकवा 0.33 हैक्टे. तेजसिंह,वासुदेव पिस. भगवानसिंह जाति जाट नि. गहलउ, आराजी खसरा नम्बर 395 रकवा 0.29 हैक्टे. तेजसिंह,वासुदेव पिस. भगवानसिंह जाति जाट नि. गहलउ व खसरा नम्बर 395/787 रकबा 0.28 हैक्टे. मोहकमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट नि. गहलउ के नाम दर्ज रिकार्ड दर्ज है। वर्तमान नक्शा अनुसार ख.नं. 810/210 व 811/211 पश्चिम दिशा में है जबकि मौके पर उक्त खसरा नम्बर उत्तर दिशा में काबिज है व खसरा नम्बर 210/784 नये नक्शे में उत्तर दिशा में जबकि मौके पर दक्षिण दिशा में काबिज काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 395 नये नक्शे अनुसार पश्चिम दिशा में जबकि मौके पर पूर्व दिशा में व खसरा नम्बर 395/787 नये नक्शा में पूर्व दिशा में जबकि मौके पर पश्चिम दिशा में बने हुए है। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य मनवट के आधार पर पूर्व में बंटवारा हो चुका है दौराने सैटलमेंन्ट उक्त आराजी को खिलाफ मौका एवं कब्जा नये नक्शे में दर्शाया गया है एवं नक्शे में शुद्धि हेतू अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने सहमति प्रदान की है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में शुद्धि करवाये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन से

Rahul Kumar

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन की रिपोर्ट के अनुसार नये नक्शे में तरमीम खिलाफ मौक एवं कब्जा की गई है जिसको नये राजस्व नक्शे में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**अतः आदेश हैः—**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता की दौराने सैटलमेंन्ट नये राजस्व नक्शे में खिलाफ मौका एवं कब्जा आराजी खसरा नम्बर 810/210/0.17, 811/210/0.17, 210/784/0.33, 395/787/0.28, 395/0.29 है0 वाके ग्राम गहलउ तहसील उच्चैन में की गई अशुद्धि को शुद्ध किया जावे। खसरा नम्बर 810/210/0.17, 811/210/0.17 की तरमीम नये नक्शे में मुताबिक मौका एवं कब्जा उत्तर दिशा में कि जावे। आराजी खसरा नम्बर 210/784/0.33 तरमीम नये नक्शे में मुताविक मौका एवं कब्जा दक्षिण दिशा में कि जावे। आराजी खसरा नम्बर 395/0.29 की तरमीम नये नक्शे में मुताविक मौका एवं कब्जा पूर्व दिशा में कि जावे। आराजी खसरा नम्बर 395/787/0.28 की तरमीम नये नक्शे में मुताविक मौका एवं कब्जा पश्चिम दिशा में कि जावे। इस वावत् तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)<br>
उपखण्ड अधिकारी<br>
उच्चैन भरतपुर